

पुष्प

श्री आनंद नांगुली,  
उप सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा ब्लॉक-2 तमसाय ब्लॉक,  
प्रांति विहार, नई दिल्ली-110092

शिक्षा 171 अनुदान

संख्या: दिनांक: 15 अगस्त, 1993

विषय:- जी०डी०धरला मेमोरियल स्कूल, धिलियाबोला, रानीखेत,  
अल्मोड़ा को अनापत्त प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कक्ष का निदेश हुआ है कि जी०डी०  
धरला मेमोरियल स्कूल, धिलियाबोला, रानीखेत, अल्मोड़ा को केन्द्रीय माध्यमिक  
शिक्षा परिषद, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार  
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्त नहीं है :-

- 111 विधानसभा की संजीकृत तोताहटी का सम्य-सम्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विधानसभा की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विधानसभा में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाहित विधानसभा में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विधानसभा माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विधानसभा की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था संचालक तथा शिक्षण कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।

- 161 कर्मचारियों की सेवा नहीं बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अनासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमत्त सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगा।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन होगी।
- 181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/परिचिकाओं में रखा जायेगा।
- 191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 201 2-- प्रतिबन्ध यह भी होना कि संस्था द्वारा 10वीं/1000 योजना लागू करके पथात्मक अभिनेतागत प्रमाण सहित मासिक को अवगत कराया जाय।

3-- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उसका पालन करने में किसी प्रकार की वृत्त या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भयदीप,

। असोक गांगुली ।  
उप सचिव।

संख्या-1174111/15-7-9 अतः दिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 111 शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 121 मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, कुमायूं मंडल, नैनीताल।
  - 131 जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा।
  - 141 निरीक्षक, जंगल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
  - 151 प्रबन्धक, जी०डी० बिरना मेमोरियल स्कूल, चिनिपानौला, ज राजीशेत, अल्मोड़ा।

आज्ञा से,  
*[Signature]*  
। असोक गांगुली ।  
उप सचिव।